कश्मीर समस्या और समाधान

DR. SURVIND KUMAR
Department of Political Science
B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

Abstract :

भारत व पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर बहुत लंबे समय से मतभेद चलते आ रहे हैं, जो कि समय–समय पर इस उपमहाद्वीप की शांति के लिए खतरा बन जाता है। यह विश्लेषण इस समस्त समस्या के जड़ व समाधान की तरफ ध्यानाकर्षण हेतु लिखा गया है। इसके लिए इस लेख को विभिन्न भागों में बांटा गया है, ताकि कश्मीर के इतिहास, विभाजन की जड़ व मजबूरियाँ, पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर उतावलपन व संयुक्त राष्ट्र संघ्रा की गलतियों को बारिकी से समझा जा सके। इस लेखक की सहायता से कश्मीर समस्या के बारे में उच्चस्तरीय अध्ययन किया गया है। इस लेख से हमें ज्ञान होता है कि यद्यपि सुरक्षा परिषद के द्वारा बीच–बचाव करते हुए कश्मीर समस्या पर प्रयास तो किए गए परन्तु उन सभी ने इसे सुलझाने की बजाए किस प्रकार दोनों देशों को एक दुसरे का दुश्मन बना दिया तथा इन दोनों देशों के परमाणु शक्ति सम्पन्न होने के कारण यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अतः इस शोध पेपर का आधार इन समस्याओं की जड़ व समाधान की तरफ अग्रसर होने में सहायक होगा।

Keywords : कश्मीर समस्या, परमाणु शक्ति, पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप, सुरक्षा परिषद

Discussion:

कश्मीर समस्या, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, पाकिस्तान

मध्य व दक्षिण एशिया से जुड़ा हुआ होने के कारण कश्मीर को भारतीय उपमहाद्वीप का दिल भी कहा जा सकता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी छोर पर व मध्य एशिया के दक्षिणतम बिन्दु पर स्थित है तथा इन दो विपरीत संस्कृति वाली जगहों के बीच में ऐतिहासिक, भौगोलिक व तकनीकी सम्बंध बनाता है।

कश्मीर का कुल क्षेत्रफल लगभग 86000 वर्ग मील तक फैला हुआ है जो कि दुनिया के 103 स्वतंत्र देशों से ज्यादा है तथा 2011 की भारतीय जनगणना के समय कश्मीर (पाक अधिकृत कश्मीर से अलग) की जनसंख्या लगभग 12.55 मिलियन थी तथा यही नहीं यदि इस आंकड़े को लगभग आज की स्थिति में पाक अधिकृत कश्मीर व जम्मू–कश्मीर की आबादी के साथ देखा जाए तो यह लगभग 17.50 मिलिन के आसपास होगी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 125 सदस्य देशों से भी ज्यादा है।[1]

कश्मीर क्षेत्र के चारों तरफ चार देशों की सीमाएँ लगती है :– भारत, पाकिस्तारन, चीन व अफगानिस्तार, तजाकिस्तान, कार्गीस्तान की सीमाएँ भी कश्मीर के साथ लगती थी, परन्तु अंग्रेजों द्वारा इस देश पर शासन करने के दौरान सीमाओं के विघटन होने से यह क्षेत्र छोटा हो गया था।

कश्मीर का इतिहास और समस्या

14 व 15 अगस्त 1947 को भारत व पकिस्तान आजाद हो गए थे। उस समय जम्मू व कश्मीर का राजा महाराजा एक बहादुर शासक था। लेकिन उस समय घटित घटनाक्रम के अनुसार महाराजा को दोनों देशों (भारत व पाक) में से कोई एक देश चुनना था। महाराजा को कश्मीर के भविष्य के साथ–साथ वहाँ के लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना था। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के रास्ते के लिए महाराजा ने बहुत देर कर दी थी। पाकिस्तान का दृष्टिकोण व सोच यह थी कि एक मुस्लिम बहुल राज्य होने के कारण कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। जबकि भारत का मामना था कि अन्य रजवाड़ों अथवा अन्य देशी रियासतों की तरह महाराजा जो भी फैसला लेंगे वहीं मान्य होगा। लेकिन यदि पाकिस्तान की धर्मात्मा वाली थ्योरी को माना जाए तो जम्मू व कश्मीर में हिन्दू व बौद्ध धर्म भी दो बराबर हिस्सों में फैला हुआ था।

इस तरह इन परिस्थितियों में हालात और भी खराब हो गए जब पाकिस्तान ने एक निर्धारित मार्ग से हटकर कश्मीर को प्राप्त करने की कोशिश शुरू की। महाराजा हरिसिंह जानते थे कि पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जा चुका है तथा साथ ही वह एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। उन्होंने 1946 व 1947 की पाक नीतियों से ही अंदाजा लगा लिया था कि यह राष्ट्र (पाक) भविष्य में केवल मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र ही रहेगा, जो कि आज सच भी है। इस तरह आजादी के समय के दौरान अन्य धर्मों की पाक जनसंख्या व आज के समय के दौरान अन्य धर्मों कर जनसंख्या की यदि तुलना की जाए तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि उस समय महाराजा ने भारत के साथ विलय की योजना बनाकर न केवल कश्मीर के हिन्दू व बौद्ध लोगेां का भला किया इस प्रकार महाराजा के निर्णय का ही नतीजा है कि आजाद कश्मीर की तुलना में भारतीय कश्मीर के सभी धर्म (हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध) के लोगतो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना में ज्यादा पढ़े–लिखे व समृद्धशाली है।

लेकिन पाकिस्तान ने (1947) के समय अपनी कुटनीतिक कार्यशैली को शुरू करते हुए चोरी–छिपे अपने सैनिकों को पठान घुसपैठियों के रूप में सशस्त्र सैनिकों के रूप में भेजने, यही नहीं उसे लगा कि उस समय के दौरान कश्मीर के सभी रास्तों का सम्पर्क पाकिस्तान के रावलपिंडी इस्लामाबाद से होने के कारण वह अपनी कुटनीतिक सैनिक कार्यवाही कर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा।

लेकिन तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ शामिल होने वाले विलय–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए अतः देखा जाए तो यही घटना ही भारत के सैनिकों के लिए कश्मीर व घाटी की सुरक्षा के लिए आने का कारण बनी।[2] जिस समय भारतीय फौजे कश्मीर में उतरी, उस समय तक पाकिस्तार घुसपैठिए कश्मीर घाटी के काफी आन्तरिक इलाकों तक आ चुके थे। उनके द्वारा हर जगह पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था तथा उसमय के दौरान कश्मीर में हर तरफ अफरा–तफरी का माहौल था। 13 सितम्बर 1947 तक लगभग 60,000 स्थानीय हिन्दु व सिक्ख जनता दंगों व घुसपैठ के भर के कारण पूंछ व अन्य जगहों से भागकर जम्मू के शरणार्थी जगहों पर रहने को मजबूर हो गई थी। तथा भारतीय फौजों द्वारा कश्मीर में कदम रखते ही वहाँ के माहौल को शांत करना आरम्भ कर दिया था तथा आगामी कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी घुसपैठियों का अपनी मूल जगह में लौट पाना निश्चित सा लगने लगा और यह पूर्ण भी हुआ था।[3]

परन्तु यहाँ एक बार फिर से ब्रिटिश नीति ''फूट डालो राज करो'' ने अपना रंग दिखाया। व ताकालीन वायसराय लार्ड माऊंटबैटन ने नेहरू को सलाह दी कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ले जाए और साथ उन्होंने कहा कि दोनों देशों को युद्ध विराम के बारे में भी सोंचना चाहिए तथा इस समस्या को सुलझाने पर विचार करना चाहिए। जबकि यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस समय हर योजना में भारत का पलड़ा भारी था। तथा उसे यह युद्ध विराम के बारे में न सोचकर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से हथियाएँ भी गए क्षेत्रों को वापिस लाने पर होना चाहिए था। परन्तु उस समय भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश वायसराय लार्ड माऊंटबैटन की बात मानना (कश्मीर समस्या के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ले जाना) एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई जिससे कि 1948 के युद्ध विराम समझौते के समय जो देश जहाँ काबिल था, वहां व अपनी ही जमीन का दावा करने लगा। जबकि यदि देखा जाए तो 26 अक्टूबर 1947 के विलय सम्बन्धी घोषणा पत्र के अनुसार समस्त जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ के साथ मिल गया था। इसी आधार पर यह भारत सरकार के अधीन ही रहना था। अतः ब्रिटिश सरकार की चालाकियों व भारतीय प्रधानमन्त्री की ऐतिहासिक भूल व पाकिस्तानी धूर्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी अस्तित्व में आ गया। व आज तक दोनों देश इसके मालिकाना हक बारे उलझे हुए हैं।[4]

कश्मीर समस्या में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका :–

1 जनवरी 1948 को भारत के द्वारा कश्मीर समस्या सम्बन्धी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग सुरक्षा परिषद् में रखा गया व संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय–6 के तहत धारा–35 में पाकिस्तान के विरूद्ध शिकायत की गई कि पाकिस्तान ने घुसपैठ के माध्यम से व स्थानीय लोगों को भगाकर कश्मीर के काफी बड़ भाग पर अवैध कब्जा कर लिया है।

इस तरह वर्ष 1948 से लेकर 1971 तक इस समय के दौरान कश्मीर समस्या सम्बन्धित मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग सुरक्षा परिषद् में 23 प्रस्ताव पास हुए तथा इन सभी प्रस्तावों को उस समय, के हालात वह परिस्थितियों के मद्देनजर ही रखा गया था, परन्तु पाकिस्तान के हर मुद्दे से भटकने व मूल–भूत जरूरते कभी भी लागू न करने व हर बार बातचीत को नए सिरे से लागू करने, जनमत–संग्रह पर ही खड़े रहने की अनावश्यक सोच व मानसिकता के कारण कोई भी प्रस्ताव पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। इन सब परिस्थितियों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त सदस्यों का भेद–भाव वाला रवैला भी काफी हद तक ज्यों के त्यों रहने में जिम्मेदार रहा।[5]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित मुख्य प्रस्ताव :–

प्रस्ताव नं०–38

दोनों देशों (भारत व पाक) द्वारा अपने–अपने दिए गए तथ्यों को सुनने के पश्चात् 17 जनवरी 1948 को प्रस्ताव पास किया गया कि भारत व पाकिस्तान को यह मसला आपसी बातचीत व शान्ति के साथ सुलझाना चाहिए। तथा साथ ही दोनों देशों में मध्य उत्पन्न आपसी तनाव को भी कम करें। इस प्रस्ताव के समय नौ सदस्य देश (संयुक्त राष्ट्र संघ) सहमत थे व दो देश इस मुद्दे के खिलाफ वोट नहीं डाला।[6]

प्रस्ताव नं०–39

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस विषय पर दूसरा प्रस्ताव दिनांक 20 जनवरी 1948 को पारित किया गया, जिसके अनुसार इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु तीन सदस्य कमेटी बनाई जाएगी तथा इस कमेटी में एक–एक सदस्य भारत–पाकिस्तान द्वारा नामित होगा तथा ये दोनों सदस्य ही तीसरा सदस्य चुनेंगे।[7]

प्रस्ताव नं०–47

21 अप्रैल 1948 को ब्रिटेन व अमेरिका के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई व साथ ही कमीशन वो उपमहाद्वीप में जाकर इस समस्या के समाधान खोजने बारे भी कहा गया।[8]

प्रस्ताव नं०–51

3 जून 1948 को पारित प्रस्ताव यू०एन०सी०आई०पी० (यूनाईटिड नेशन कमीशन भारत पाकिस्तान) को भेजा गया।

संघर्ष विराम योजना :– 11 दिसम्बर 1948 को यू०एन०सी०आई०पी० द्वारा सुझाए गए रास्तों में एक रास्ता जनमत संग्रह सम्बन्धित भी था लेकिन केवल संघर्ष विराम योजना ही लागू की गई।[9]

प्रस्ताव नं०–80

14 मार्च 1950 को पारित प्रस्ताव में यू०एन०सी०आई०पी० की रिपोर्ट व आयोग के अध्यक्ष मैकनाग्टन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तथा कश्मीर में विसैन्यकरण बारे प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन यह प्रस्ताव भी फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तान विसैन्यकरण की सभी शर्तो को मानने को तैयार नहीं था।

सर ओवन डिक्सन का प्रस्ताव :– मैकनाग्टन के प्रस्ताव के फेल होने के पश्चात् 1950 में आयोग ने एक अन्य नियुक्त सदस्य सर ओवन डिक्सन को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य में 'क्षेत्रीय जनमत–संग्रह' करवाने का सुझाव दिया परन्तु दोनों राष्ट्र इस पर भी सहमत नहीं हो जाए।[10]

प्रस्ताव नं०–91

सर ओवन डिक्सन के फेल होने के उपरान्त 30 मार्च 1951 को एक अन्य सदस्य मि. फ्रैक ग्राहम को कश्मीर में विसैन्यकरण बारे व दोनों देशों के मध्य शांति का रास्ता खोजने की जिम्मेदारी भी गई।

प्रस्ताव नं०–98

23 सितम्बर 1952 को पारित इस प्रस्ताव के अनुसार विसैन्यकरण की प्रक्रिया के तहत दोनों तरफ एक निश्चित संख्या में ही सैनिक रह सकते थे। इस प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान की तरफ 3000 से 6000 व भारत की तरफ 12000 से 18000 सैनिक ही रहने थे। परन्तु पाकिस्तान की धूर्त नीतियों के कारण यह प्रस्ताव भी सिरे नहीं चढ़ सका और यह समस्या ज्यों कि त्यों ऐसे ही बनी रही।[11]

1965 युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की कश्मीर समस्या बारे कम होती भूमिका :—

कई सालों की कड़ी मेहनत व अनेकों प्रस्तावों के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ इस समस्या का समाधान नहीं खोज सका। यद्यपि इसके कारणों का पता तो हम अगले पेज पर पढ़ेंगे परन्तु यह विश्व समुदाय की ही नाकामी थी कि एक देश की नीतियों ने पूरे विश्व भर के मंच को ही नाकाम कर दिया था। 1965 में दोनों देशाों में एक बार फिर युद्ध हुआ लेकिन कुछ समय उपरान्त ताशकंद समझौते के आधार पर दोनों देशो के मध्य उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु मंत्री स्तर की बातची को राजी जो गए लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कश्मीर समस्या एक नाकाम कोशिश ही बनकर रह गई।[12]

कश्मीर समस्या को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की नाकामी के कारण :—

यद्यपि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर समस्या को सुलझाने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी भी कोशिश का कोई हल नहीं निकल सका। कई बार तो दोनें देश हल के निकट भी पहुंच जाते थे, परन्तु हर बार हल के निकट होने के समय हनल योजना को ही ध्वस्त कर दिया जाता। नाकामी का एक अन्य कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों का भेदभाव वाला रवैया भी रहा। शीतयुद्ध के समय ही इस घटनाक्रम के होने के कारण उसका भी इस समस्या पर काफी प्रभाव पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा महाराज हरिसिंह के भारत में शामिल होने सम्बन्धी 'विलय—पत्र' का सम्मासन नहीं करना भी था। तथा न ही कभी संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान को इसके लिए मजबूर कर पाया। जब दोनों देश विसैन्यकरण सम्बन्धी मुद्दे के पश्चात के बाद 'जनमत—संग्रह' आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान ने ही निश्चित सैनिक संख्या की शर्त का उल्लंघन कर सारी योजना बंद करवा दी। यही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों द्वारा इस समस्या के हल सोचने की इच्छाशक्ति पर कम ध्यान व अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण करने पर ज्यादा ध्यान दिया। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कश्मीर समस्या पर अपनी छाप छोड़ने में असफल रहा। अतः अब केवल एक ही रास्ता शेष बचा है, जिसके अनुसार दोनों देश आपस में मिलकर ही ऐसा संभावित रास्ता खोजे जिसके आधार पर इस समस्या का शांतिपूर्ण हल हो सके।

सन्दर्भ :—

1. लम्ब अलिस्टर कश्मीर, ए यूनाईटिड लिगैसी बाई
2. गांगुली दा कराइसिस इन कश्मीर
3. गांगुली दा ओरजिन आफ वार इन साउथ एशिया
4. कपूर एंड नारंग दा फेथ ऑफ कश्मीर : इन्टरनेशनल ला और लाईलेशनैस
5. राय मरीन्डू हिन्दू रूल्स, मुस्लिम सब्जैक्ट : इस्लाम, राईटस एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी
6. ऑफसियल रिकॉर्ड ऑफ दा यूनाइटिड नैशसन सिक्योरिटि काउंसिल Http://Http:// research.un.org./docs/sc/or
7. ऑफसियल रिकॉर्ड ऑफ दा यूनाइटिड नैशसन सिक्योरिटि काउंसिल Http://Http:// research.un.org./docs/sc/or

8. ऑफसियल रिकॉर्ड ऑफ दा यूनाइटिड नैशसन सिक्योरिटि काउंसिल Http://Http:// research.un.org./docs/sc/or

9. ऑफसियल रिकॉर्ड ऑफ दा यूनाइटिड नैशसन सिक्योरिटि काउंसिल Http://Http:// research.un.org./docs/sc/or

10. ऑफसियल रिकॉर्ड ऑफ दा यूनाइटिड नैशसन सिक्योरिटि काउंसिल Http://Http:// research.un.org./docs/sc/or

11. ऑफसियल रिकॉर्ड ऑफ दा यूनाइटिड नैशसन सिक्योरिटि काउंसिल Http://Http:// research.un.org./docs/sc/or

12. परिश्टर एन०जे० डैन्जर इन कश्मीर